न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 13 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
1. गोमाराम पुत्र पदमाराम 2. चोखाराम पुत्र पदमाराम 3. रणछाराम पुत्र पदमाराम 4. श्रीमती अमरू पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती, आकली तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. रेखाराम पुत्र पुरखाराम का.मु. 1 / 1धर्माराम पुत्र रेखाराम 1 / 2बन्नाराम पुत्र रेखाराम 1 / 3चेनाराम पुत्र रेखाराम 1 / 4पेंपादेवी पत्नी रेखाराम 2. हनुमानराम पुत्र पुरखाराम 3. हरजीराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी आदर्श बस्ती, आकली तहसील शिव जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे बैंक शाखा शिव 5. श्रीमान तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 280 / 2018 बअनवान रेखाराम वगैरा बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.03.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.01.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494, 495 कुल रकबा 97.15 बीघा मौजा आदर्श बस्ती, पटवार क्षेत्र आकली तहसील शिव जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 782 / 495 प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थी के उक्त खेत में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता स्वीकृत करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना रेस्पोडेंटस अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 784/495 के पूर्वी सेढे पर रास्ते के रूप में प्रयुक्त भूमि की आधी भूमि देने हेतु सहमति अपने जबाव में दी गई थी तथा खेत खसरा नम्बर 784/495 के पूर्वी सेढे पर वर्तमान में भी रास्ता चल आ रहा है तथा इस स्थल पर रास्ते दिये जाने से प्रार्थीगण, विप्रार्थीगण सहित अन्य खसरा 783/495, 785/495 को भी रास्ता उपलब्ध हो जाता तथा मौके पर विवाद भी नहीं बढता, साथ ही अपीलांट के खेत खसरा संख्या 782/495 व 784/495 जो दोनों सेढासेढ आये हुऐ है तथा मौके पर एकल चक के रूप में मौजूद है के टुकड़े भी नहीं होते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के जबाव को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। मौका फर्द दिनांक 26.08.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थीगण द्वारा ख.नं. 782/495 में से ख.नं. 784/495 की सीमा से लगता हुआ रास्ता चाहा गया है जो कि नियमानुसार कटान रास्ता ख. नं. 769 से प्रार्थीगण के खसरे तक नजदीकतम दूरी है।" रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी षिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 280/2018 बअनवान रेखाराम वगैरा बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.03.2020 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर